UPBL010007062023

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया।

पीठासीन अधिकारी–रामकृपाल, जे0 ओ0 कोड नं0–02759 (उच्चतर न्यायिक सेवा)

विशेष सत्र परीक्षण सं0–180/2023

उ0 प्र0 राज्य ---वादी/अभियोजक

बनाम

चंदन राजभर पुत्र नाथ शरण राजभर बिलौझा, थाना हल्धरपुर जिला मऊ, हाल पता ग्राम निकासी, थाना–नगरा, जिला बलिया ।

---अभियुक्त

मु0 अ0 सं0–133/2020

धारा 135, विद्युत अधिनियम

थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला– बलिया।

अभियोजन की तरफ से– विद्वान विशेष लोक अभियोजक–श्री रजनीश कुमार राय

अभियुक्त की तरफ से– विद्वान अधिवक्ता श्री पी0 एन0 सिंह

<u>निर्णय</u>

1– पुलिस थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–बलिया द्वारा अभियुक्त चंदन राजभर के विरूद्ध मु0 अ0 सं0–133/2020, धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप–पत्र पर उसका विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 22.06.2020 को श्यामनाथ, अवर अभियन्ता प्रर्वतन दल मऊ, उप निरीक्षक हरेन्द्र यादव, प्रभारी प्रवर्तन दल मऊ, हे0 का0 आनन्द कुमार शुक्ल, हे0 का0 राजेन्द्र प्रसाद, हे0 का0 दीपक कुमार चन्देल बावत बिद्युत चोरी चेकिंग/बिद्युत चोरी की रोकथाम से समय 18.00 बजे से समय 18.05 बजे तक थाना नगरा में विद्युत संयोजन को चेक किया गया जो यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 की एल0 टी0 लाईन से अभियुक्त चन्दन राजभर द्वारा कटिया/केबिल के माध्यम से दो किलो वाट विधा कामर्शियल चोरी से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था। जिसके सम्बन्ध में थाना एण्टी पावर थेफ्ट में मुकदमा कायम किया गया।

3– मामले के विवेचक ने दौरान गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा प्रपत्रों को संकलित किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया तथा विवेचना की अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाहियों को पूर्ण कर अभियुक्त चंदन राजभर के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया।

4– अभियुक्त चंदन राजभर की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध धारा –135 विद्युत अधिनियम, के अन्तर्गत आरोप विरिचित किया गया। अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

5– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से सिद्ध किए गए अभियोजन प्रपत्र निम्न

Digitally signed by RAMKRIPAL
Date: 2026.03.06 05:36:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हैः–

क0 संख्या	प्रपत्र	प्रदर्श	द्वारा सिद्ध किया गया
1–	लिखित तहरीर	क–1	कृष्ण बहादुर सिंह
2.	कार्यालय अधीशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, बांसडीह, बलिया	प्रदर्श क–2	कृष्ण बहादुर सिंह

6– अभियोजन प्रपत्रों व अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा एक साक्षी को परीक्षित कराया गया है–

01	P.W.-1	कृष्ण बहादुर सिंह

7– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0 प्र0 सं0 अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है तथा कथन किया है कि कारगुजारी दिखाने के लिये मुकदमा किया गया है । प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर दिया गया है एवं उसके द्वारा सफाई में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

8– विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम)द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 22.06.2020 को समय 18.00 बजे से समय 18.05 बजे तक थाना नगरा में विद्युत संयोजन को चेक किया गया जो यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 की एल0 टी0 लाईन से आप अभियुक्त चन्दन राजभर द्वारा कटिया/केबिल के माध्यम से दो किलो वाट विधा कामर्शियल चोरी से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था। अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

9– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को कारगुजारी दिखाने के लिये मुकदमा किया गया है। अभियुक्त द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर दिया गया है । अतः अभियुक्त लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

10– विद्वान लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का परिशीलन किया।

11– प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैः–

क्या दिनांक 22.06.2020 को समय 18.00 बजे से समय 18.05 बजे तक थाना नगरा में विद्युत संयोजन को चेक किया गया जो यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 की एल0 टी0 लाईन से आप अभियुक्त द्वारा चन्दन राजभर कटिया/केबिल के माध्यम से दो किलो वाट विधा कामर्शियल चोरी से विद्युत का उपभोग किया जा रहा था ?

निष्कर्ष एवं आधार

विचारणीय बिन्दु संख्या–1 पर निष्कर्ष एवं उसका आधार

12– अभियोजन ने अभियुक्त के ऊपर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए उपरोक्त वर्णित अभियोजन साक्षी पी0 डव्लू0–1 कृष्ण बहादुर सिंह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

13– **अभियोजन साक्षी पी0 डव्लू0–1** कृष्ण बहादुर सिंह ने साक्ष्य दिया है कि दिनांक 22.06.2020 को वादी मुकदमा श्यामनाथ अवर अभियन्ता द्वारा अभियुक्त चंदन राजभर पुत्र नाथ शरण निवासी निकासी, थाना–नगरा, जिला बलिया के विरूद्ध विद्युत चोरी धारा–135 विद्युत अधिनियम के तहत तहरीर देकर थाना– एण्टी पावर थेफ्ट, बलिया पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज

कराया गया था, जो पत्रावली में मेरे समक्ष है, जिसे मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा समस्त बकाया राजस्व व शमन शुल्क जमा कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि कार्यालय अधीशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बांसडीह बलिया के पत्रांक 340 दिनांक 19.01.2026 से की गयी है । उक्त पत्र पत्रावली में मेरे समक्ष है , जिसे मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया ।

14– कार्यालय अधीशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, बांसडीह बलिया प्रर्दश क–2 के माध्यम से चंदन राजभर पुत्र नाथ शरण निवासी ग्राम व पोस्ट निकासी, थाना–नगरा, जिला बलिया द्वारा शमन शुल्क रू0. 20000/–रसीद संख्या–896568218987 दिनांक 09.01.2026, राजस्व निर्धारण रूपया 19710.00 रसीद संख्या 501697508480 दिनांक 29.12.2025 एवं अवशेष राजस्व निर्धारण रू0 21973.00 रसीद संख्या–501477995859 दिनांक 09.01.2026 को भुगतान कर दिया गया है ।

15– उपरोक्त समस्त विवेचना के पश्चात् न्यायालय इस मत का है कि अभियेाजन अभियुक्त चंदन राजभर के ऊपर लगाये गये उक्त आरोप अन्तर्गत धारा–135, विद्युत अधिनियम युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त उक्त आरोप से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

16– अभियुक्त चंदन राजभर पुत्र नाथ शरण निवासी ग्राम व पोस्ट निकासी, थाना–नगरा, जिला बलिया को विशेष सत्र–परीक्षण संख्या–180/2023 अपराध संख्या–133/2020, सरकार बनाम चंदन राजभर अन्तर्गत धारा–135, विद्युत अधिनियम थाना एण्टी पावर थेफ्ट, जिला बलिया के आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है।

17– अभियुक्त जमानत पर है। उसके बन्धपत्र को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

18– धारा–437 ए दं0 प्र0 सं0 के विधिक प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त चंदन राजभर द्वारा मु0 20,000/–(बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व उतनी हीं धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सात दिन दाखिल किया जाये।

दिनांक–06.03.2026

(रामकृपाल)
विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
बलिया।

निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–06.03.2026

(रामकृपाल)
विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
बलिया।

टाईपकर्ता–यशवन्त सिंह,